vinetur

कर्नाटक में अल्कोहल-सामग्री आधारित कर से प्रति व्यक्ति शुद्ध अल्कोहल की खपत 2.4% घटी

आबकारी राजस्व 13.4% बढ़ा और पेय पदार्थों की कुल बिक्री 16% बढ़ी, जो कम अल्कोहल वाले पेयों की ओर रुझान का संकेत है

शुक्रवार, 13 नवंबर 2026



Brewers Association of India के गुरुवार, 12 नवंबर को जारी विश्लेषण के अनुसार, राज्य में मादक पेयों पर कर लगाने का तरीका बदलने के बाद सितंबर तक के पांच महीनों में कर्नाटक में प्रति व्यक्ति शुद्ध अल्कोहल की खपत 2.4% घट गई। यह संगठन उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करता है।

संगठन ने बताया कि मई से सितंबर के बीच प्रति व्यक्ति शुद्ध अल्कोहल की खपत घटकर 1.59 लीटर रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.63 लीटर थी। यह गिरावट 11 मई को राज्य में Alcohol-in-Beverage कर प्रणाली लागू किए जाने के बाद आई। इस प्रणाली में शुल्क केवल उत्पाद की श्रेणी पर नहीं, बल्कि पेय में मौजूद अल्कोहल की मात्रा पर आधारित है।

आंकड़ों से संकेत मिलता है कि उपभोक्ताओं ने कुल मिलाकर कम अल्कोहल नहीं खरीदी। संगठन के अनुसार, इस अवधि में कर्नाटक में बिकने वाले मादक पेयों की कुल मात्रा 16% बढ़ी, जबकि उन पेयों में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा घटी। इससे पता चलता है कि पेय पदार्थों की खरीद में व्यापक गिरावट के बजाय उपभोक्ता कम अल्कोहल वाले उत्पादों की ओर बढ़े।

कर में बदलाव का असर खरीदारी की आदतों और उत्पादों की संरचना, दोनों पर पड़ा है। संगठन ने बताया कि कर्नाटक में कुल मादक पेय बिक्री में बीयर और वाइन की हिस्सेदारी बढ़कर 45% हो गई, जो एक साल पहले 36% थी। इसी दौरान, किफायती भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) के कई निर्माताओं ने अपने उत्पादों में अल्कोहल की मात्रा 42.8% से घटाकर 40% कर दी। संगठन के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप राज्य में बिकने वाली IMFL की औसत अल्कोहल मात्रा घटकर 40.5% रह गई।

राज्य का राजस्व शुद्ध अल्कोहल की खपत के विपरीत दिशा में चला। संगठन के अनुसार, अप्रैल से सितंबर के दौरान कर्नाटक का आबकारी राजस्व एक साल पहले की तुलना में 13.4% बढ़कर Rs 22,191.63 करोड़ हो गया। अधिक राजस्व और पेयों में अल्कोहल की कम मात्रा का यह मेल भारत के अन्य राज्य सरकारों का ध्यान खींच सकता है, जहां शराब कर सार्वजनिक आय का एक प्रमुख स्रोत हैं।

Brewers Association of India के महानिदेशक विनोद गिरि ने कहा कि खपत में गिरावट की रफ्तार उल्लेखनीय रही। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उदाहरण हैं जहां करों को अल्कोहल की मात्रा से अधिक सीधे तौर पर जोड़ने के बाद खपत घटी है, लेकिन कर्नाटक में यह बदलाव असामान्य रूप से तेज रहा।

आंकड़ों में अल्कोहल की मात्रा की तुलना में स्पिरिट्स की बिक्री में अपेक्षाकृत मामूली बदलाव भी दिखा। अप्रैल से सितंबर के दौरान IMFL के केसों की बिक्री 1.1% बढ़ी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में इसमें 1% की गिरावट आई थी। इसका मतलब है कि नई व्यवस्था के तहत स्पिरिट्स की बिक्री में भारी गिरावट नहीं आई, लेकिन बिकने वाले उत्पादों में औसतन अल्कोहल की मात्रा कम दिखाई देती है।

कर्नाटक से बाहर भी यह घटनाक्रम अहम है, क्योंकि इससे शुरुआती तौर पर पता चलता है कि सीधे अल्कोहल की मात्रा से जुड़ी कर नीति पेय बाजार को कैसे बदल सकती है। यदि यह रुझान बना रहता है, तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ब्रुअर, वाइन निर्माता और डिस्टिलर अपनी रेसिपी में बदलाव कर सकते हैं, अल्कोहल की मात्रा घटा सकते हैं और ब्रांडों की स्थिति नए सिरे से तय कर सकते हैं। इसका असर खास तौर पर कम कीमत वाले खंडों में पड़ सकता है, जहां कर में छोटे बदलाव भी दुकानों पर कीमतों को काफी प्रभावित कर सकते हैं।

कर्नाटक जैसे बड़े स्पिरिट्स बाजार में इसका महत्व खास तौर पर अधिक हो सकता है, जहां कम कीमत वाली IMFL लंबे समय से केंद्रीय भूमिका निभाती आई है। कम अल्कोहल मात्रा को प्रोत्साहित करने वाली प्रणाली बीयर और वाइन को बढ़ावा दे सकती है, स्पिरिट्स के हल्के संस्करणों को प्रोत्साहित कर सकती है और विभिन्न श्रेणियों में उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा का तरीका बदल सकती है। कम अल्कोहल वाले विकल्पों पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के साथ ही निर्माताओं पर पैकेजिंग, कीमतों और मार्जिन पर फिर से विचार करने का दबाव भी पड़ सकता है।

कर्नाटक भारत के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक है, इसलिए वहां के नीतिगत बदलावों पर उत्पादकों और निवेशकों की करीबी नजर रहती है। राज्य के नतीजे इस बहस को और तेज कर सकते हैं कि शराब करों का मुख्य उद्देश्य राजस्व अधिकतम करना होना चाहिए या उपभोक्ता क्या पीते हैं और उन उत्पादों में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, इसे भी प्रभावित करना चाहिए।

फिलहाल सबसे स्पष्ट बदलाव पेयों में अल्कोहल की मात्रा का है। उद्योग के विश्लेषण के अनुसार, मई से सितंबर के बीच कर्नाटक में अधिक पेय पदार्थ बिके, लेकिन 11 मई को कर व्यवस्था में बदलाव के बाद उन पेयों में अल्कोहल की औसत मात्रा घट गई।